लखपति दीदी योजना से महिलाएं आर्थिक रूप से सक्षम बन रही हैं- भजनलाल

खारी का लाम्बा गाँव में मुख्यमंत्री ने ग्राम विकास चौपाल में लाभार्थियों को चैक व स्वीकृति पत्र सौंपे

भीलवाड़ा/जयपुर, 5 जून। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के कल्याण एवं सशक्तिकरण की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने वर्ष 2014 के बाद इन सभी वर्गों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण

- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजीविका से जुड़ी महिलाओं से बात की। वे रात्रि विश्राम खारी का लाम्बा गाँव में ही करेंगे।

योजनाएं चलाई हैं। मुख्यमंत्री शुक्रवार को भीलवाड़ा के खारी का लाम्बा गांव में ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लखपति दीदी योजना से महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त और सक्षम बन रही हैं। हमारी सरकार ने इस योजना में ऋण सीमा बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपये एवं ब्याज घटाकर 1.5 प्रतिशत किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने लोकसभा और विधानसभाओं में महिला प्रतिनिधित्व के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसा महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

इससे पहले, मुख्यमंत्री ने चौपाल में पुष्पा कंवर और अन्नू को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत चैक सौंपे। इसी प्रकार हंगामी देवी, रघुनाथ को पाइपलाइन योजना एवं हेमेन्द्र सिंह को फार्म पौण्ड योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की तथा अर्चना व लीला को मिनीकिट सौंपे। वहीं, चन्ता देवी जाट को कृषक सहकारी दुर्घटना में 10 लाख रुपये, अमर सिंह को ब्याजमुक्त ऋण के तहत 1.13 लाख रुपये, उमंग सीएलएफ से जुड़ी सोनू कंवर को 20 लाख एवं बजरंग बली समूह को 4 लाख रुपये एवं राजीविका महिला स्वयं सहायता समूह को 1 करोड़ 10 लाख 74 हजार रुपये से अधिक की राशि के चैक सौंपे। उन्होंने प्रभुलाल रैगर एवं अनुराधा नायक को अक्षय पोषण योजना की किट सौंपी। इस दौरान उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, विधायक जब्बर सिंह सांखला, गोपाल लाल शर्मा, उदयलाल भडाना, अशोक कुमार कोठारी, लालाराम बैरवा, गोपीचन्द मीणा, लादु लाल पितलिया, अन्य जनप्रतिनिधिगण सहित, बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को भीलवाड़ा के खारी का लाम्बा गांव में ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चैक सौंपे।

भारत ने गिलगिट-बाल्टिस्तान में चुनाव का विरोध किया

नई दिल्ली, 05 जून। भारत सरकार ने पाकिस्तान से 7 जून को तथाकथित 'गिलगिट-बाल्टिस्तान असेंबली' के लिए 'आम चुनाव' कराने की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि चुनाव गैर-कानूनी और ज़बरदस्ती कब्ज़ा किए गए भारतीय क्षेत्र में कराये जा रहे हैं।

भारत सरकार ने अपने पुराने रुख को दोहराया है कि केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का संपूर्ण क्षेत्र भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग हैं। 1947 में इनका भारत में पूर्ण, कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय हो चुका है। तथाकथित 'गिलगिट-बाल्टिस्तान' इसका हिस्सा है। भारत ने इस बात पर भी जोर दिया है कि पाकिस्तान के ऐसे प्रयास पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले क्षेत्रों में गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन, राजनीतिक दमन, आर्थिक शोषण और स्वतंत्रता से वंचित करने जैसे अंतर्निहित मुद्दों को छिपा नहीं सकते।

विदेश मंत्रालय के मुताबिक, पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का भौतिक परिवर्तन लाने के प्रयास स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य हैं।

गुरमीत राम रहीम को फिर पैरोल मिली

20 साल की सज़ा के दौरान वह अब तक 16 बार पैरोल पर रिहा हो चुका है। इस बार उसे 30 दिन की पैरोल मिली है।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 5 जून। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को एक बार फिर रोहतक की सूनरिया जेल से 30 दिनों की पैरोल मिलने के बाद रिहा किया गया है। पैरोल की मंजूरी राजय के सक्षम अधिकारी द्वारा दी गई थी। साध्वी यौन उत्पीड़न मामले में 20 साल की सजा मिलने के बाद, यह उनकी 16वीं अस्थायी रिहाई है।

स्वघोषित बाबा सुबह लगभग 6:34 बजे सूनरिया जेल से बाहर निकले, और उनके बाहर निकलने के दौरान सुरक्षा इंतजाम न्यूनतम दिखाई दिए। इस घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए उनके वकील जितेन्द्र खुराना ने कहा, "उन्हें आज पैरोल मिली है। यह राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गई है। उन्हें 30 दिनों की पैरोल दी गई है।" उन्होंने आगे कहा, "पैरोल के दौरान वे अपने डेरा सच्चा सौदा, सिरसा में रहेंगे।"

- सूत्रों के अनुसार, राम रहीम को हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिज़नर्स (टैम्परेरी रिलीज़) एक्ट 2022 के कारण मिल रही है। यह प्रति कैलेंडर वर्ष से 10 सप्ताह की रिहाई की अनुमति देता है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, 2022 का हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्स (अस्थायी रिहाई) एक्ट ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह जैसे अपराधियों के लिए पैरोल लेना आसान बना दिया है। यह अधिनियम प्रति कैलेंडर वर्ष अधिकतम 10 सप्ताह की रिहाई की अनुमति देता है, जिसे दो हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है, पैरोल केवल डिप्टी कमिश्नर या पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट और जिला मजिस्ट्रेट की सिफारिश के आधार पर। इस कानून का उपयोग करते हुए, राम रहीम ने पिछले आठ वर्षों 406 दिन में जेल के बाहर बिताए हैं। यह अधिनियम सामान्यतः "हार्डकोर दोषियों", जैसे बलात्कार या हत्या के दोषियों, को नियमित पैरोल से रोकता है।

लेकिन, इसमें एक अपवाद है कि हार्डकोर दोषी उस स्थिति में पैरोल प्राप्त कर सकते हैं, जब उन्होंने कम से कम 5 साल की सजा काट ली हो, जिसमें अंडरट्रायल के 2 साल शामिल हैं। गुरमीत राम रहीम, जिन्हें 2017 में बलात्कार और 2019 तथा 2021 में दो हत्याओं का दोषी ठहराया गया था, 2017 से जेल में हैं, इसलिए वे 5 साल की सीमा को पूरा करते हैं और 2022 के कानून के तहत, उन्हें पैरोल दिया जा सकता है।

ग्रेट निकोबार प्रोजैक्ट पर राहुल गांधी ने ऑनलाइन मूवमैंट शुरू किया

राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी कर कहा कि 72 हज़ार करोड़ रु. की यह परियोजना पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक है

नई दिल्ली, 05 जून। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर एक बार फिर 'ग्रेट निकोबार' द्वीप का मुद्दा उठाया और एक वीडियो जारी कर सरकार पर आरोप लगाया कि 72 हजार करोड़ रुपये की इस परियोजना से पर्यावरण को नुकसान होगा।

राहुल ने आरोप लगाया कि परियोजना से 1.5 करोड़ पेड़ नष्ट होंगे, प्रवाल भित्तियों को नुकसान पहुंचेगा और समुदायों का विस्थापन होगा। इसमें आईएनएस बाज़ (संयुक्त सेवा कमान का हवाई अड्डा) जैसे वास्तविक रक्षा ढांचे के उन्नयन की उपेक्षा की जा रही है। इससे एक व्यवसायी को लाभ होगा। वह यहां होटल और कैसीनो बनाएगा।

राहुल ने एक्स पर कहा, कोई भी लाभ हमें उसे नष्ट करने से रोकता है, जिसे कभी वापस नहीं पाया जा सकता। मैं पारिस्थितिक रूप से संतुलित विकास का समर्थक हूं। ये द्वीप दुनिया के सबसे असाधारण टिकाऊ पर्यटन स्थल बन सकते हैं। यही वह भारत है, जिसके लिए संघर्ष करना चाहिए।

- राहुल ने कहा, कोई भी लाभ हमें उसे नष्ट करने से रोकता है, जिसे कभी वापस नहीं पाया जा सकता।
- राहुल ने युवा वर्ग से मूवमैंट से जुड़ने की अपील की।

उन्होंने कहा कि इस विश्व पर्यावरण दिवस पर वे हर युवा भारतीय से एक सवाल पूछना चाहते हैं कि आप किस तरह का भारत विरासत में पाना चाहते हैं? साथ ही, राहुल ने एक ऑनलाइलन कैंपेन भी शुरु किया, जिसमें वे कह रहे हैं- याचिका पर हस्ताक्षर करें।

मोदी सरकार को बताएं कि हम किसे चुनते हैं। राहुल और कांग्रेस की ओर से उनकी हाल ही की ग्रेट निकोबार द्वीप की यात्रा की तस्वीरें और वीडियो जारी किया गया है।

उल्लेखनीय है कि परियोजना के समर्थक इसे भारत की "एक्ट ईस्ट" रणनीति के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं, जबकि आलोचक इसे पर्यावरण और जलीय जीवों के लिए खतरे के तौर पर देखते हैं।

हाई कोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन पर रोक नहीं लगाई

नई दिल्ली, 05 जून। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 6 जून को कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के दिल्ली में होने वाले प्रदर्शन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। जस्टिस सौरभ बनर्जी की

- सेव इंडिया फाउंडेशन ने 6 जून के प्रदर्शन पर रोक लगाने की याचिका लगाई थी।

अध्यक्षता वाली वेकेशन पीठ ने याचिका पर जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया।

सेव इंडिया फाउंडेशन नामक संगठन की ओर से दायर याचिका दायर करते हुए शुक्रवार को याचिकाकर्ता के वकील विकास शर्मा ने कॉकरोच जनता पार्टी के 6 जून को जंतर-मंतर पर होने वाले प्रस्तावित प्रदर्शन को रोकने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की थी।

अन्नामलाई ने "वी द पीपल" आंदोलन चलाने की घोषणा की

भाजपा छोड़ने के बाद अन्नामलाई ने कहा कि यह आम नागरिकों की भागीदारी पर आधारित आंदोलन होगा

चेन्नई, 05 जून। तमिलनाडु की राजनीति में शुक्रवार को तब एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया, जब भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के पूर्व अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के. अन्नामलाई ने पार्टी से इस्तीफा देने के तुरंत बाद अपनी नई राजनीतिक पार्टी और आंदोलन की घोषणा कर दी।

भाजपा से अलग होने के बाद, सोशल मीडिया पर लाइव संबोधन में अन्नामलाई ने अपने नए राजनीतिक अभियान की रूपरेखा पेश करते हुए बताया कि उनके आंदोलन का नाम "वी द पीपल" होगा। उन्होंने कहा कि यह किसी व्यक्ति, परिवार या विशेष समूह का मंच नहीं, बल्कि आम नागरिकों की भागीदारी पर आधारित जन आंदोलन होगा, जिसका उद्देश्य राजनीति को जनता के अधिक निकट लाना है।

अपने संबोधन में अन्नामलाई ने खुलासा किया कि पिछले करीब 18 महीनों से भाजपा नेतृत्व के साथ कई वैचारिक और कार्यशैली संबंधी मुद्दों पर उनके मतभेद चल रहे थे। दिसंबर 2025 में ही उन्होंने पार्टी नेतृत्व को अपने इस्तीफे की इच्छा से अवगत करा दिया था। हालांकि, पार्टी नेतृत्व के अनुरोध पर उन्होंने चुनावी जिम्मेदारियां पूरी होने तक संगठन में बने रहने का फैसला किया।

- भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई ने कहा कि गत 18 माह से उनके भाजपा नेतृत्व से कई वैचारिक और कार्यशैली संबंधी मुद्दों पर मतभेद चल रहे थे।

अन्नामलाई ने कहा कि राजनीति में उनकी सोच हमेशा सिद्धांतों और जनसेवा पर आधारित रही है। उन्होंने अपने आईपीएस कार्यकाल को याद करते हुए कहा कि कर्नाटक में पुलिस अधिकारी के रूप में सेवा के दौरान उन्होंने यह सीखा कि कोई भी पद, अधिकार या सत्ता स्थायी नहीं होती। उनके अनुसार, राजनीति को भी इसी दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए, जहां व्यक्ति नहीं, बल्कि व्यवस्था और जनता सर्वोपरि हो।

राजनीतिक सूत्रों के अनुसार, नई पार्टी सभी समुदायों, सामाजिक समूहों और अल्पसंख्यक वर्गों को साथ लेकर चलने की नीति अपनाएगी। पार्टी का फोकस समावेशी विकास, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक भागीदारी को मजबूत करने पर रहेगा। इसी कारण इसे धर्मनिरपेक्ष और व्यापक जनाधार वाली राजनीतिक पहल के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है।

राजनीतिक विश्लेषकों का भी मानना है कि अन्नामलाई का यह कदम तमिलनाडु की राजनीति में नए समीकरण पैदा कर सकता है। पूर्व आईपीएस अधिकारी के रूप में उनकी प्रशासनिक पृष्ठभूमि, युवाओं के बीच लोकप्रियता और आक्रामक राजनीतिक शैली उन्हें राज्य की राजनीति में एक प्रभावशाली खिलाड़ी बना सकती है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि उनकी नई पार्टी आगामी चुनावों में किस प्रकार की रणनीति अपनाती है और राज्य की पारंपरिक राजनीतिक ताकतों को कितनी चुनौती दे पाती है।

हाई कोर्ट ने जल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

एसीबी कोर्ट-1 ने 29 मई को सुबोध अग्रवाल की जमानत पर सुनवाई की थी, लेकिन फैसले से पहले ही पीठासीन अधिकारी ने हाईकोर्ट प्रशासन को केस ट्रांसफर के लिए पत्र लिख दिया था। मामले में तत्कालीन मंत्री महेश जोशी, सुबोध अग्रवाल, संजय बड़ाया, दिनेश गोयल, कृष्णदीप गुप्ता, शुभांशु दीक्षित, सुशील शर्मा, विशाल सक्सेना, डी.के. गौड़, महेन्द्र प्रकाश सोनी, मुकेश पाठक और निरिल कुमार फिलहाल न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं। इस प्रकरण में हाईकोर्ट ने चार आरोपियों की जमानत गत एक जून को खारिज दी थी और एक आरोपी अरुण श्रीवास्तव को मेडिकल ग्राउंड पर हाईकोर्ट से जमानत मिली है। एसीबी ने बीते दिनों पूर्व आईएएस सुबोध अग्रवाल के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया था।

चर्चित शिक्षक खान ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

गार्डों ने कथित रूप से पुलिस को बताया कि उन्हें गोली चलाने के लिए कहा गया था और आश्वस्त किया गया था कि आगे की स्थिति संभाल ली जाएगी। इसी बयान के आधार पर पुलिस ने खान सर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109 सहित, अन्य प्रासंगिक धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच के दौरान एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें खान सर की कोचिंग के बाहर सुरक्षा कर्मियों द्वारा हवाई फायरिंग किए जाने के संकेत मिले हैं। वीडियो और अन्य साक्ष्यों के सत्यापन के बाद पुलिस ने दोनों गार्डों की भूमिका की भी जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों के अनुसार, प्रारंभिक जांच में हवाई फायरिंग की पुष्टि होने के बाद कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है।

इस बीच कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर पुलिस मुख्यालय और महानिरीक्षक (आईजी) कार्यालय स्तर पर उच्चस्तरीय बैठक भी आयोजित की गई। बैठक में पूरे मामले की समीक्षा की गई तथा स्थिति पर लगातार नज़र रखने का निर्णय लिया गया। पुलिस ने छात्रों और आम नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाह या भ्रामक सूचना पर ध्यान न दें और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें।

खड़गे ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

शुक्रवार को बेंगलुरु स्थित विधान सौधा में एआईसीसी अध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने निर्वाचन अधिकारी के समक्ष औपचारिक रूप से राज्यसभा के लिए अपना नामांकन पत्र प्रस्तुत किया। नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उनकी उम्मीदवारी को पार्टी के सभी विधायकों और नेताओं का एकजुट समर्थन प्राप्त है। उन्होंने कहा कि आज मैंने अपना नामांकन दाखिल किया है। सभी विधायक और पार्टी के नेताओं ने मुझे उम्मीदवार के रूप में चुना है। मैं उनके विश्वास और समर्थन के लिए उनका आभारी हूं।

सरकारी बॉण्ड में निवेश ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश पर लागू तीन प्रतिबंधों, अर्थात् अल्पकालिक निवेश सीमा, एकाग्रता सीमा और प्रतिभूति-वार सीमा को हटाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही, केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के बकाया स्टॉक के 6 प्रतिशत और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों (एसजीएस) के 2 प्रतिशत की समग्र मात्रात्मक निवेश सीमा को बरकरार रखा गया है। निवेश सीमाओं की उप-श्रेणियां, अर्थात् सामान्य और दीर्घकालिक, क्रमशः सरकारी प्रतिभूतियों और एसजीएस में निवेश के लिए एक ही सीमा में विलय कर दी जाएंगी।

एफ. पी. आई. को दी जा रही छूट का एक कारण यह भी बताया जा रहा है कि भारतीय रिज़र्व बैंक आमतौर पर डॉलर के मुकाबले रुपये के मूल्य में अत्यधिक उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए अपने विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग करता है, भारत से बाहर जा रहे निवेश से स्थिति और भी जटिल हो रही है।

ईरान युद्ध और उससे जुड़े आर्थिक संकटों के कारण रुपया 20 मई, 2026 को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 96.86 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ था। कभी एशिया की अपेक्षाकृत स्थिर मुद्राओं में गिना जाने वाला रुपया इस वर्ष अब सबसे कमजोर प्रदर्शन करने वाली उभरती बाजार की मुद्राओं में से एक बन गया है। इस पर महंगे तेल, पूंजी निकासी, बढ़ते व्यापार घाटे और मजबूत अमेरिकी डॉलर का दबाव है।

फ़र्ज़ी पासपोर्ट मामले में गिरफ्तार हो चुका है लवकेश बजाज

नई दिल्ली, 05 जून। दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर स्थित फ्लोरिश स्टेज बीएंडबी में बुधवार सुबह लगी भीषण आग में 21 लोगों की मौत के बाद, होटल मालिक लवकेश बजाज को लेकर चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। जांच में पता चला है कि जिस लवकेश बजाज को पुलिस ने अग्निकांड मामले में गिरफ्तार किया है, वह पिछले वर्ष भी बांग्लादेशी नागरिकों को फर्जी भारतीय दस्तावेज उपलब्ध कराने के मामले में गिरफ्तार हो चुका है।

- गत वर्ष बाँग्लादेशी नागरिकों को फर्ज़ी भारतीय दस्तावेज उपलब्ध कराने के मामले में पुलिस ने पकड़ा था।

दिल्ली पुलिस के सूत्रों के अनुसार, वर्ष 2025 में पहाड़गंज थाना पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान लवकेश बजाज की भूमिका का खुलासा किया था। जांच में सामने आया था कि कुछ बांग्लादेशी नागरिक फर्जी आधार कार्ड और भारतीय पासपोर्ट के सहारे दिल्ली में रह रहे थे। पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि इन दस्तावेजों में इस्तेमाल किए गए पते का संबंध लवकेश बजाज से था। 29 जनवरी 2025 को पुलिस को सूचना मिली थी कि पहाड़गंज के संगतराशान इलाके में एक बांग्लादेशी परिवार फर्जी दस्तावेजों के आधार पर रह रहा है। ?

प.बंगाल में भाजपा ने अपनी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अब कलकत्ता कॉरपोरेशन के नए चुनाव होने तक संस्था का कामकाज एक एडमिनिस्ट्रेटर (प्रशसक) संभालेगा।

इस बीच, जैसे-जैसे बंगाल में जीत पक्की हो रही थी, राजनीतिक संघर्ष देश की राजधानी दिल्ली की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस के सांसद स्वयं को "वास्तविक तृणमूल" बताकर अपना अलग संसदीय समूह बनाने का दावा कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के 20 से 23 सांसद भाजपा के संपर्क में हैं और वे जल्द ही लोकसभा अध्यक्ष से मिलने वाले हैं।

वरिष्ठ सांसद भाजपा नेतृत्व के संपर्क में हैं और अपनी भविष्य की रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर तृणमूल कांग्रेस के कुल 42 सांसद हैं। यदि लोकसभा के 28 सांसदों में से बहुमत भाजपा के साथ आ जाता है, तो महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराना भाजपा के लिए काफी आसान हो सकता है।

तृणमूल कांग्रेस के करीब 20 सांसद लोकसभा अध्यक्ष से मिलकर स्वयं को पार्टी के मुख्य संसदीय समूह के रूप में मान्यता देने की मांग करने वाले हैं।

वर्तमान में तृणमूल के लोकसभा में 28 सांसद हैं, जिनमें से 20 के एकजुट होने की खबर है। दो संभावित विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। पहला यह कि असंतुष्ट तृणमूल सांसद सीधे भाजपा में शामिल हो जाएं। ऐसी स्थिति में "एक राष्ट्र, एक चुनाव" योजना या महिला आरक्षण जैसे विधेयकों को आगे बढ़ाने में भाजपा को मदद मिल सकती है।

दूसरा विकल्प बंगाल मॉडल का है, जिसके तहत तृणमूल का यह समूह स्वतंत्र सांसदों के रूप में केन्द्र की सत्तारूढ़ पार्टी के समर्थन में भाजपा के विधेयकों के पक्ष में मतदान कर सकता है। भविष्य में क्या होगा, यह देखना बाकी है।

तृणमूल के संसदीय दल के एक वरिष्ठ सदस्य, शुभेन्दु शेखर राय ने कहा कि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि पार्टी के विधायक और सांसद इतनी तेजी से पार्टी नेतृत्व से दूरी बना सकते हैं। कहा जा रहा है कि रॉय को संसद में पार्टी का नेता बताया जा सकता है।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मोदी ने उत्तर बंगाल के मालदा दौरे के दौरान शुभेन्दु राय के पिता की प्रशंसा की थी। उन्होंने कहा था कि उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ मिलकर बंगाल को भारत में बनाए रखने के लिए काम किया था, जबकि कुछ शक्तियां बंगाल को पाकिस्तान में शामिल करने की कोशिश कर रही थीं।

राजनीतिक सूत्रों के अनुसार, नया समूह संसद में पार्टी के मौजूदा नेता अभिषेक बनर्जी पर भरोसा नहीं करता। इसके बजाय, वे अपने संसदीय दल के लिए एक नए नेता का चयन करना चाहते हैं।

पार्टी के भीतर अभिषेक बनर्जी को लेकर व्यापक असंतोष बताया जा रहा है और पार्टी को लगे हालिया राजनीतिक झटकों के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। हालांकि ममता बनर्जी ने स्पष्ट रूप से अभिषेक बनर्जी की आलोचना पर रोक लगा रखी है, फिर भी कई नेता पार्टी की विफलताओं का ठीकरा उन्हीं के सिर फोड़ रहे हैं।

सरकार बनाने के साथ ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सात बार सांसद रह चुके हैं। वर्तमान में वे देवनहल्ली विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। वे सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में मंत्री भी रह चुके हैं।

सूत्रों के अनुसार, ऊर्जा मंत्रालय संभाल रहे वरिष्ठ नेता के.जे. जॉर्ज इस बात से नाराज़ हैं कि उनके विभाग में अधिकारियों के तबादले उनकी सहमति के बिना किए जा रहे हैं। नई सरकार में सार्वजनिक निर्माण विभाग का प्रभार बरकरार रखने वाले मंत्री सतीश जारकीहोली ने कहा है कि वे कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद की भी इच्छा रखते थे और इसके लिए उन्होंने पार्टी नेतृत्व से अनुरोध भी किया था। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि वे पार्टी नेतृत्व के निर्णय का सम्मान करेंगे।

शुक्रवार सुबह वरिष्ठ नेता रामलिंगा रेड्डी ने विभागों के बंटवारे से नाराज़ होकर मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। रेड्डी का दावा है कि मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने उन्हें बेंगलुरु विकास विभाग देने का वादा किया था, लेकिन उन्हें सिंचाई विभाग आवंटित कर दिया गया। इस मुद्दे पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए रेड्डी ने घोषणा की कि अब वे मंत्रिमंडल में कोई भी पद स्वीकार नहीं करेंगे और केवल विधायक के रूप में काम करेंगे।

रेड्डी के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए डीके शिवकुमार ने उन्हें अपना "सबसे करीबी मित्र" बताया और कहा कि वे इस मामले का समाधान निकालेंगे।

रेड्डी के इस्तीफे के बाद, कांग्रेस के कई पदाधिकारियों ने भी अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। रामलिंगा रेड्डी बेंगलुरु में कांग्रेस का एक प्रमुख चेहरा हैं। रेड्डी बीटीएम लेआउट विधानसभा क्षेत्र से आठ बार विधायक चुने जा चुके हैं। इससे पहले वे, कर्नाटक सरकार में परिवहन मंत्री, तथा गृह मंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं।

इन दो वरिष्ठ नेताओं के अलावा, वरिष्ठ नेता दिनेश गुंडू राव भी मंत्रिमंडल गठन के पहले चरण में नज़रअंदाज़ किए जाने से नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि उन्होंने किसी से कुछ नहीं मांगा है, तथा उन्हें मंत्री क्यों नहीं बनाया गया, यह प्रश्न वे (पत्रकार) पार्टी से करें।

क्या संवर्धित यूरेनियम को ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बदलने वाले रुख के अनुसार ट्रंप ने कहा कि संवर्धित यूरेनियम का मुद्दा अब "दफन" हो चुका है।

वाइट हाउस के ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें अमेरिकी सेना द्वारा इस मामले में कार्रवाई करने का विचार पसंद नहीं है। ट्रंप की यह नई टिप्पणी उनके पहले के रुख से कुछ अलग है। इससे पहले वे बार-बार कहते रहे थे कि ईरान को अपने उच्च स्तर के संवर्धित यूरेनियम के भंडार को रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी और इसे हटाना या नष्ट करना अमेरिका-ईरान शांति वार्ता की प्रमुख शर्त थी।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि यदि दोनों देशों के बीच समझौता हो जाता है, तो ईरान के नए सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई से मिलकर वो सम्मानित महसूस करेंगे।

ईरानी नेता के साथ संभावित बैठक के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने कहा, "मैं मिलना नहीं चाहता, लेकिन अगर मुलाकात होती है तो उनके साथ मिलना मेरे लिए सम्मान की बात होगी।" मोजतबा खामेनेई के पिता और पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामेनेई 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका-इज़राइल युद्ध की शुरुआत में मारे गए थे। ट्रंप ने आगे कहा, "मैं देखना चाहूंगा कि क्या हम कोई समझौता कर पाते हैं। अगर समझौता हो जाता है, तो यह संभव है कि मैं उनसे मिलूं।" 54 वर्षीय इस्लामी धर्मगुरु मोजतबा खामेनेई को उनके पिता की मृत्यु के बाद ईरान का सर्वोच्च नेता नियुक्त किया गया था।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिकी और इज़रायली बलों द्वारा मोजतबा खामनेई के परिवार के कई सदस्यों को निशाना बनाए जाने के बावजूद, उन्हें (ट्रंप को) उम्मीद है कि खामेनेई "प्रोफैशनल रूख" अपनाएंगे।

ट्रंप ने कहा, "हमने उनके पिता, उनकी पत्नी और उनके बेटे को मार दिया, इसलिए शायद मैं उनका पसंदीदा व्यक्ति नहीं हूं... लेकिन कुछ हलकों में उनकी काफी अच्छी प्रतिष्ठा है।"

जब उनसे पूछा गया कि ईरानी नेता के साथ उनकी संभावित मुलाकात कहां हो सकती है, तो ट्रंप ने कहा, "मैंने वास्तव में इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं सुना है। मैंने यह सुझाव नहीं दिया, लेकिन कुछ लोगों ने इसका सुझाव दिया है।"

ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान से संवर्धित यूरेनियम (एनरिच्ड यूरेनियम) प्राप्त करने के लिए अमेरिका को किसी समझौते की आवश्यकता नहीं है।

उन्होंने पत्रकारों से कहा, "हम इसे अभी भी हासिल कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि अगर हम चाहें तो वे हमें रोक सकते हैं, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। यह अब दफन हो चुका है।"

साइबर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

तक जुड़े हो सकते हैं। एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि साइबर अपराधियों तक सिम कार्ड पहुंचाने वाले गिरोह का संचालन किस स्तर पर किया जा रहा था और इससे अर्जित धनराशि को किस प्रकार ठिकाने लगाया गया।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंभाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908